राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

विस्तृत–निर्देश

(विज्ञापन संख्याः 05/2021)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के जिला स्वास्थ्य समितिके लिए **ANM** के संविदागत पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों, जो भारत के नागरिक हैं, से Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

पद का नाम	कोटिवार पदों की संख्या*		मानदेय प्रतिमाह (रुपये में)	Qualification
ANM	**कुल पद–8853**		11,500/-	**Essential Qualification** • Diploma (2 Years Full Time) in Auxiliary Nurse Midwifery (ANM) training course from a recognized ANM training institute. • Registration of candidates from "Bihar Nurses Registration Council" shall also be necessary.
	UR	2177		
	UR(F)	1167		
	EWS	665		
	EWS(F)	323		
	MBC	1088		
	MBC(F)	597		
	SC	995		
	SC(F)	531		
	BC	606		
	BC(F)	314		
	ST	86		
	ST(F)	20		
	WBC	284		

(UR-Unreserved, MBC-Most Backward Class, BC-Backward Class, SC-Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, EWS-Economically Weaker Section, WBC-Women of Backward Classes, F-Female, M-Male)

Maximum Age (In years, as on 1st June, 2021):

Unreserved/EWS - 37yrs, Unreserved/EWS (Female) - 40yrs, BC/MBC (Male & Female) - 40yrs, SC/ST (Male & Female)- 42yrs. 10 years relaxation in age will be admissible to Divine Body applicant.

*नोट : आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के आलोक में कोटिवार रिक्ति की संख्या मेंपरिवर्तन हो सकता है।

निर्देशः–

1. उक्त पद हेतु आयु, कार्यानुभव एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए Cut off Date- 01.06.2021होगी।
2. उक्त पद पर भर्ती हेतु दिनांक 01.06.2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु आरक्षण कोटिवारनिम्नानुसार से अधिक न होः–
   - (i) अनारक्षित वर्ग/EWS (पुरूष) – 37 वर्ष
   - (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष
   - (iii) अनारक्षित वर्ग/EWS (महिला) – 40 वर्ष
   - (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष
3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–62, दिनांक– 05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों (दिव्यांग)को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य।
4. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकृत Website-**statehealthsocietybihar.org** के Home page पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक करके दिशा–निदेश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद हेतु विहित TOR एवं सामान्य निदेश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
5. **"Bihar Nurses Registration Council" (BNRC) से निबंधन होना अनिवार्य है।** वैसे अभ्यर्थी, जो अन्य राज्य के Nursing Council से निबंधित है, वे ऑनलाईन आवेदन कर सकते है, परन्तु प्रमाण–पत्रों के सत्यापन/काउन्सेलिंग के समय "BNRC" से निबंधित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। इस हेतु कंडिका–1 में निर्धारित Cut-off Date शिथिल माना जाएगा।
6. उक्त पद के लिए Online आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की संबधित तिथि/समयः–

1	Online आवेदन भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक तिथि एवं समय	**01/07/2021 (10:00 बजे पूर्वाह्न से)**
2	Online आवेदन भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि एवं समय	**21/07/2021 (06:00 बजे अपराह्न तक)**

7. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर सम्प्रति अधिकतम 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद सेवा पर संविदा अवधि का विस्तार 60 वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने में, से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तार किया जाएगा।

8. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

9. संविदा पर चयन के उपरांत जिला आवंटन हेतु अपने इच्छानुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं, किन्तु विकल्प के आधार पर जिला का दावा मान्य नहीं होगा। रिक्ति के आधार पर जिला में सेवा आवंटन का अन्तिम निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का होगा।

10. **आरक्षणः–**

(i) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। Online आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन Online आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। Online आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्गत निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) अनिवार्य रूप से होना चाहिए अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iv) उसी प्रकार, Online आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8.3.2011 एवं पत्रांक 1273 दिनांक 29.01.2021 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा–पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर) का होना अनिवार्य होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिला पदाधिकारी/अंचलाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र (अनुसूची–1/प्रपत्र–1) मान्य होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2326 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रिक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 एवं संकल्प संख्या 962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 04% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। Online आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40% या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत हैं, के पोता/पोती/नाती/नतिनी को रिक्ति के उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को Onlineआवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण–पत्र एवं पहचानपत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

11. आवेदन शुल्कः–

1. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन आवेदन करते समय Net Banking/Credit/Debit Card के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त आवेदन शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंको द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

आवेदन शुल्क कोटिवार प्रत्येक पद हेतु निम्नवत निर्धारित हैः–

कोटि	पुरूष	महिला
UR/EWS/BC/MBC	500	250
SC/ST (Bihar Domicile)	250	250
दिव्यांग	250	250

2. वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional applicant fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

12. चयन का आधारः–

(i) निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगीः–

चयन हेतु निम्नलिखित के अनुसार 100 (एक सौ) पूर्णांक होगा–

Name of Post	Total No. of Post	Selection Process & Criteria			Salary Per Month
		Computer Based Test (CBT)	Academic Qualification	Interview	
ANM	8853	100	NA	NA	11,500

Ajay Rajesh

13. **मेधा सूची में Tie होने पर:**

अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात, अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण–पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

14. **Computer Based Test (CBT) मेधा सूची के लिए न्यूनतम अहर्तांक:**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 एवं संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 एवं संकल्प संख्या 962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

15. **Document Verification/Counselling:**

Document Verification/Counselling के दिन निम्नलिखित प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र एवं अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से एवं उसकी दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा।

(i) Copy of Online Filled up Applicant form.

(ii) पाँच पासपोर्ट साईज के अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ (Recent Photograph) |

(iii) Photo Identity proof (Aadhar and pan card/Driving License/Voter ID card/Passport).

(iv) जन्म तिथि की साक्ष्य (Proof Of Date of Birth) हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र।

(v) All educational qualification Mark sheet/Degrees (from Xth till last qualification).

(vi) Copy of work experience certificate.(As in the absence of work experience certificate candidate will submit the joining letter and relieving letter/order and in case of serving employee, latest salary slip/certificate may be considered.)

(vii) If the candidate is working in any Government OR Government PSU/Organization NOC from the competent authority.

(viii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण–पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए भी पिता के नाम एवं पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र)।

(ix) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 1273 दिनांक 29.01.2021, पत्रांक 673 दिनांक 8.3.2011 एवं पत्रांक 704 दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए भी पिता के नाम एवं पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना सं० 2622 दिनांक 26.02.2019, पत्रांक 1273 दिनांक 29.01.2021 तथा पत्रांक 5444 दिनांक 02.06.2021 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र (अनुसूची–1/प्रपत्र–1)।

(xi) दिव्यांगता संबंधी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

(xii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा Counselling के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने भरे गये आवेदन पत्र में किया गया है।

यदि अभ्यर्थियों द्वारा Counselling के दिन उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समूचित निर्णय लेने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगी।

16. इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकृत Website-**statehealthsocietybihar.org** के Home Page पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक करके दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए Online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन समर्पित करते समय इंगित कॉलम में अद्यतन passport sizeरंगीन फोटो (20 kb to 100kb in jpg/jpeg/png format) एवं हस्ताक्षर (10 kb to 100kb in jpg/jpeg/png format) में upload करना अनिवार्य होगा। Online आवेदन में upload किये जाने वाले passport size रंगीन फोटो की पाँच प्रति print कर सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय समिति (SHSB) के द्वारा मांग किये जाने पर उम्मीदवार उसे प्रस्तुत कर सकें।

17. उक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं Online आवेदन भरा जाना है। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा–निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लेंगे तथा Online आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। Online आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं Online आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति जिम्मेवार नहीं होगी। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। Online आवदेन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण–पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

18. संसूचन मोड केवल E-Mail/SMS होगा। इस प्रकार अभ्यर्थी Online आवेदन समर्पित करते समय Active E-mail ID एवं Mobile Number इंगित कॉलम में अंकित करेंगे। E-mail ID एवं Mobile Number गलत रहने पर संसूचन नहीं हो पाने की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी।

19. Online आवेदन समर्पित करने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने तक सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी समय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।

20. Internet या बैंक व्यवधान के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी Online आवेदन भरने एवं समर्पित करने हेतु अन्तिम तिथि का इन्तजार नहीं करेंगे बल्कि अन्तिम तिथि के पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।

21. उक्त पद के Counselling हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।

22. विज्ञापित पद की रिक्ति की संख्या आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए बिना, विज्ञापन को रद्द करने/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

30/6/11

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार